सहायक कलक्टर माण्डल

7/2/23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी-
गण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त
हुए जिसे शा॰प॰ किये गये। अप्रार्थीगण को
कितनी बार रुक रुक कर आवाजें दिलायी
जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके
विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश
दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:08:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी-- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 07/23 प्रा0पत्र

1– श्री अशोक s/o श्री मेवा लाल खटीक निवासी- बागोर तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री शिव कुमार s/o श्री नानुराम खटीक निवासी- बागोर तहसील-माण्डल (वगैरा) (प्रत्याक्षित प्रापत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 07-02-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमली कॉलोनी पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 6506/7296 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हेक्टयर, स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.01.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आमली कॉलोनी पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 6506/7296 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर को 500/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 16:08:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा फीस जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा